संख्या–4704/9–1–2017–299सा/10

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ।

2– समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।

3– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम,उ0प्र0।

4– समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग--1 लखनऊ:दिनांक:26 अक्टूबर,2017

विषयः– निकाय के कर्मचारियों के वेतन से काटे जा रहे फण्ड (PROVIDENT FUND) की धनराशि को उनके बैंक के फण्ड खातो में जमा कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में उल्लेख करना है कि स्वायत्त शासन कर्मचारी संगठन, उ0प्र0, लखनऊ की विभिन्न मांगों पर दिनांक 23–10–2017 को हुयी बैठक में अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया गया कि नगर निगमो, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन से फण्ड (PROVIDENT FUND) की धनराशि काटी जाती है, लेकिन काटी गयी फण्ड की धनराशि संबधित निकायों के कर्मचारियों के फण्ड के खातों में जमा नहीं की जाती है, जिससे उनको प्राप्त होने वाली ब्याज धनराशि की क्षति होती है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन से फण्ड की काटी गयी धनराशि संबंधित निकाय कर्मचारियों के फण्ड के खातो में समयान्तर्गत जमा कराने एवं संबंधित लेखा विभाग जमा की गयी फण्ड की धनराशि को अपडेट करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उक्त निर्देशो का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही को गम्भीरता से लिया जायेगा एवं संबंधित के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,
26.10.17
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त नगर विकास अनुभाग ।

2– श्री अशोक गोयल, प्रान्तीय महामंत्री, स्वायत्त शासन कर्मचारी संगठन,उ0प्र, नगर निगम लखनऊ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।